

**कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला (मप्र०)**

**:: सिविल कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2024 ::**


क्रमांक सां.लि./एक-9-2/2009

मण्डला, दिनांक 30 अप्रैल 2024

मैं एस.के. जोशी, प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डला, व्यवहार न्यायालय नियम 1955 की धारा 15 एवं 21(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालय का सिविल कार्यविभाजन आदेश वर्ष 2024 क्रमांक 103/सा.लि./एक-9-2/2009 मण्डला दिनांक 24 जनवरी 2024 एवं कार्यालय आंशिक संशोधन विविध आदेश क्रमांक 07/सा.लि./एक-9-2/2009 मण्डला दिनांक 16 अप्रैल 2024 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता हूँ जो **दिनांक 01.05.2024 से प्रभावशील** होगा :-

- कंडिका क्र.-08 में उपकंडिका- 5, 6, 7 स्थापित किया जाता है।
- कंडिका क्र.-09 की उपकंडिका 1 एवं 2 आगामी आदेश तक के लिये विलोपित किया जाता है।
- कंडिका 10 में उपकंडिका 1 एवं 2 को विलोपित निम्नानुसार आंशिक संशोधन कर कंडिका 4 स्थापित की जाती है।
- कंडिका 11 की उपकंडिका 1 को विलोपित कर निम्नानुसार आंशिक संशोधन कर कंडिका 4 एवं 5 स्थापित की जाती है।

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	क्र०	प्रकरणों का प्रकार जिनके निराकरण का क्षेत्राधिकार होगा।
08.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मण्डला	राजस्व जिला मण्डला की तहसील मण्डला, नैनपुर, बिछिया एवं घुघरी	5	वर्ष के माह मई, जून, जुलाई 2024 में प्राप्त होने वाले 5,0000,1/- (पांच लाख एक रुपये) से रुपये 1,0000000/- (एक करोड़ रुपये) मूल्य तक के व्यवहार वाद अ एवं ब।
			6	वर्ष के माह मई, जून, जुलाई 2024 में प्राप्त होने वाले 500/- रु. मूल्य तक के लघुवाद प्रकरण।
			7	वर्ष के माह मई, जून, जुलाई 2024 में प्राप्त होने वाले भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 के अंतर्गत प्रकरण।
10.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मण्डला	राजस्व जिला मण्डला की तहसील मण्डला, नैनपुर, बिछिया एवं घुघरी	1	वर्ष के माह नवंबर एवं दिसंबर 2024 में प्राप्त होने वाले 5,0000,1/- (पांच लाख एक रुपये) से रुपये 1,0000000/- (एक करोड़ रुपये) मूल्य तक के व्यवहार वाद अ एवं ब।
			2	वर्ष के माह नवंबर एवं दिसंबर 2024 में प्राप्त होने वाले भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 के अंतर्गत प्रकरण।
			4	वर्ष के माह नवंबर एवं दिसंबर 2024 में प्राप्त होने वाले 500/- रु. मूल्य तक के लघुवाद प्रकरण।
11.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मण्डला	राजस्व जिला मण्डला की तहसील मण्डला, नैनपुर, बिछिया एवं घुघरी	1	वर्ष के माह अगस्त, सितंबर एवं अक्टूबर 2024 में प्राप्त होने वाले 5,0000,1/- (पांच लाख एक रुपये) से रुपये 1,0000000/- (एक करोड़ रुपये) मूल्य तक के व्यवहार वाद अ एवं ब।
			4	वर्ष के माह अगस्त, सितंबर एवं अक्टूबर 2024 में प्राप्त होने वाले 500/- रु. मूल्य तक के लघुवाद प्रकरण।
			5	वर्ष के माह अगस्त, सितंबर एवं अक्टूबर 2024 में प्राप्त होने वाले भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 के अंतर्गत प्रकरण।

  
(एस.के.जोशी)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
मण्डला (म.प्र.)